INTEGRA
WINNER

// * प्रेस--नोट * //

दिनांक 21/11/2010

क्राईम ब्रांच की कार्यवाही

सेक्टर एवं खुर्सीपर क्षेत्र के चोरी एवं नकबजनी के दस प्रकरण का खुलासा

दो शातिर नकबजन पकड़े गये

सोने–चांदी के जेवरात एवं एलसीडी, टीवी, मोबाईल, डीवीडी प्लेयर, होमथिऐटर, एवं मोटरसायकल समेत चार लाख का माल बरामद

भिलाई सेक्टर एरिया एवं खुर्सीपार क्षेत्र के सूने मकानो में ताला-तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात एवं एलसीडी,टीवी, आदि धरेलू सामानों की चोरी होने की घटना में हो रही लगातार वृद्धि पर अंकुश लगाने एवं माल मुल्जिम पता तलाश करने की जिम्मेदारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग श्री अमित कुमार (भापुसे) ने क्राईम ब्रांच प्रभारी निरीक्षक सत्यप्रकाश तिवारी को सौंपा। अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री एम.एल. कोटवानी एवं उप पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री आर.के. चौबे, के मार्गदर्शन में क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा माल-मुल्जिम पता तलाश के हर-संभव प्रयास करते व सूत्रो से सतत् सम्पर्क रखते हुये सूचना पर आरोपियों तक पहुचने में सफलता हासिल करते हुये भिलाई-खुर्सीपार के शर्मा आश्रम पास लेबर कालोनी निवासी विक्की उर्फ विकास आ. स्व. किशन लाल रैकवार 19 साल एवं जोन 2 बालाजी नगर खुर्सीपार निवासी के. अमूल राव आ. स्व. बाबू राव 19 साल को पकड़कर सधन पूछताछ करने पर भिलाई के सेक्टर एरिया एवं खुर्सीपार क्षेत्र में चोरी एवं नकबजनी के अपराध घटित करना कबूल करते हुये बताये कि दिसम्बर 2009 में सेक्टर-4 सडक-38 ए से एक मो.सा. हीरो होण्डा स्पलेण्डर सीजी 07 एलएच 5209 सीलवर कलर को चोरी किये थे जिसे बाद में काले रंग करा दिये है, जो विक्की के पास है। उस वाहन का उपयोग आरोपिगण ने चोरी की घटना को अंजाम देने में करना स्वीकार किया है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी नंदकिशोर आ. ज्ञानिक बघेल सेक्टर-4 सडक-36 क्वा. 38-ए भिलाई कि रिपोर्ट पर थाना भिलाई भटटी में अपक्र. 179/09 धारा 379 भादवि पंजीबद्ध है। फरवरी 2010 में सेक्टर-4 भिलाई के एक बंद मकान का ताला तोड़कर डीवीडी, गिटार, पेन-ड्राईव, कैमरा, सोने-चांदी के जेवरात आदि चोरी किये थे, जिसमें प्रार्थी वृंदावन मलिक आ. स्व. रामचंद मलिक सा. सेक्टर 4 भिलाई की रिपोर्ट पर थाना भिलाई भटटी में अपक्र. 14/10 धारा 457, 380 भादिव पंजीबद्ध है। जुलाई 2010 में सेक्टर-4 सडक-35 के एक बंद क्वाटर का ताला तोडकर सोने-चांदी के जेवरात, घडी, कैमरा एवं नगदी रकम आदि चोरी किये थे। प्रार्थी जग्गनाथ गोस्वामी आ, स्व. बृजगोपाल गोस्वामी सेक्टर 4 सडक 35 क्वानं 13 ए भिलाई की रिपोर्ट पर थाना भिलाई भटटी में अपक्र. 99/10 धारा 457, 380 भादिव पंजीबद्ध है। सेक्टर 4 सडक 30 में अक्टूबर 2010 को रात में क्वाटर का ताला तोड़कर अंदर घुसे थे कि सामने क्वार्टर में आदमी आ जाने से बिना चोरी किये भाग गये थे। प्रार्थी प्रमोद आ. लालचंद राय की रिपोर्ट पर थाना भिलाई भटटी में अपक्र. 159/10 धारा 457 भादवि पंजीबद्ध है।

सेक्टर-2 एवन्यू के क्वार्टर में माह जुलाई 2010 के रात में बंद क्वाटर का ताला तोडकर सोने की अंगुठी, सोने का टॉप्स एव नगदी रकम चोरी किये थे, जिसमें प्रार्थी कुलदीप शर्मा आ. गांगा प्रसाद शर्मा सा. सेक्टर 2 एवन्यू क्वानं 20 ए की रिपोर्ट पर थाना भिलाई नगर में अपक्र. 296/10 धारा 457, 380 भादवि पंजीबद्ध है। माह अगस्त 2010 को सेक्टर 2 के एक बंद क्वार्टर का दिन में ताला तोड़कर अंदर से एक एलसीडी, एक मोबा. नोकिया कम्पनी का चोरी किये थे। प्राथी सच्चीदानंद दुबे आ. जी.एस. दुबे सा. क्वानं 23 डी सेक्टर 2 भिलाई की रिपोर्ट पर थाना भिलाई नगर में अपक्र. 290/10 धारा 454, 380 भादवि पंजीबद्ध है। माह अगस्त 2010 को रात्रि में जोन 2 खुर्सीपार के बंद क्वार्टर का ताला तोडकर अंदर रखे मिटटी के गुल्ला में भरे रूपये पैसे को चोरी किये थे, प्रार्थी विमल सुशांत झा आ. गौरीशंकर झा सा.एमपी आर रोड क्वानं. 6 ई जोन 2 खुर्सीपार की रिपोर्ट पर थाना खुर्सीपार में अपक्र. 226/10 धारा 457, 380 भादवि पंजीबद्ध है। इस घटना के बीस दिन बाद जोन 2 खुर्सीपार में बंद मकान का ताला तोडकर एक एलसीडी बडी, सीएफएल बल्ब, चांदी के सिक्का चोरी किये थे। प्रार्थी अकबर आ. शेख मगरूर 34 साल सा. जोन 2 खुर्सीपार की रिपोर्ट पर थाना खुर्सीपार में अपक्र. 333/10 धारा 457, 380 भादवि पंजीबद्ध है। इसी रात में न्यू खुर्सीपार भिलाई के एक बंद मकान का ताला तोडकर सोने-चांदी के जेवरात, नगदी आदि चोरी किये थे। प्रार्थी दीपचंद आ. रामआश्रय सिंह (नवलकिशोर सिंह) सा. न्यू खुर्सीपार भिलाई की रिपोर्ट पर थाना खुर्सीपार में अपक्र. 334/10 धारा 457, 380 भादवि पंजीबद्ध है। इसी प्रकार लक्ष्मण नगर छावनी में रात में बंद मकान का ताला तोड़कर एक टीवी, होम थिऐटर, 03 साउंड बॉक्स एवं डीवीडी चोरी किये थे। प्रार्थी रामअधिन आ. श्री किशोर शर्मा सा. लक्ष्मण नगर छावनी थाना खुर्सीपार की रिपोर्ट पर थाना खुर्सीपार में अपक्र. 19/11 धारा 457, 380 भादवि पंजीबद्ध है।

पूछताछ पर उक्त दोनों आरोपी द्वारा उपरोक्त सभी दस अपराधों को घटित करना कबूल करते हुये मिले सोने-चांदी के जेवरात एवं अन्य सामान को आपस में बांट लेना बताया है एवं नगदी रकम को बांट कर खर्च हो जाना बताये है। दोनों आरोपी के कब्जे से उनके हिस्से का चोरी गया मशरूका सोने-चांदी के जेवरात एवं एलसीडी, टीवी, मोबाईल, गिटार, डीवीडी प्लेयर, होमथिऐटर, घड़ी, मोटरसायकल आदि जुमला कीमती करीब 4,00,000/- का बरामद किया जाकर माल एवं मुल्जिम को अग्रिम कार्यवाही हेतु संबंधित थानों के सुपूर्द किया गया है।

इस सम्पूर्ण कार्यवाही में क्राईम ब्राचं के सउनि- रामअवतार यदु, प्रआर.- हेमंत त्रिपाठी, पवन सिंह, राजकुमार दिवाकर, भानूशंकर, गुप्तेश्वर यादव, सुरेन्द्र सिंह, आरक्षक- राकेश चौबे, ज्ञानदत्त मिश्रा, दीपक गोस्वामी, परस साहू, प्रदीप सिंह, नरेश बंजारे, धर्मराज सिंह, बसंत, राधेलाल, अभिषेक कुमार, दुर्गेश कुमार, थाना खुर्सीपार के संउनि- बी.आर. साहू, एन.के. साहू आरक्षक- शिवबोधन यादव, थाना भिलाई नगर के प्रआर.- राजेश नेगी, थाना भिलाई भटटी के उप निरी. एस.आर. लहरे, सउनि- डी.एल. साहू की भूमिका सराहनीय रही।